कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

यह कि श्रीमती निर्मला चौधरी, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, किसान कन्या नागौरी बेरा, जोधपुर को दिनांकः 01.04.2017 से 10.05.2018 तक का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत पश्चात् दिनांक 11.05.2018 से स्वैच्छा से विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांकः 20.04.2019 को रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल एवं दूरभाष से अवकाश प्रार्थना पत्र भिजवाने हेतु सूचना दी गई परन्तु श्रीमती निर्मला चौधरी द्वारा अवकाश का कोई प्रार्थना नहीं देने पर दिनांकः 11.05.2018 को स्वैच्छा से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान सेवा नियम – 1951 के अनुच्छेद 86(1) के तहत उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया था। जिसका श्रीमती निर्मला चौधरी द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया तत्पश्चात् विभाग के निर्देशानुसार राबाउमावि किसान कन्या नागौरी बेरा, जोधपुर द्वारा दिनांक 20.02.2021 समाचार पत्रों के माध्यम से श्रीमती निर्मला चौधरी को 15 दिवस के अन्दर विद्यालय में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किया गया परन्तु श्रीमती निर्मला चौधरी आज दिनांक तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए है ।

अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा प्रकरण की गहनता पूर्वक जांच करने पश्चात् पाया कि श्रीमती निर्मला चौधरी राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 396/02 में पारित निर्णय दिनांकः 06.02.2003 द्वारा भी लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को उचित नहीं माना है एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का परित्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एवं नोटिस दिए जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं बताई है।

अतः श्रीमती निर्मला चौधरी, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, किसान कन्या नागौरी बेरा, जोधपुर को लम्बे समय से अनुपस्थिति के मद्धेनजर सेवा–त्याग मानते हुए राज्य सेवा से हटाया (REMOVAL FROM SERVICE) जाता है ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/सी–3/भौगकृ/स्वैच्छिक अनुपस्थिति/निर्मला/2021 दिनांकः–14/06/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग जोधपुर, जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राबाउमावि किसान कन्या नागौरी बेरा, जोधपुर।
6. संबंधित कार्मिक श्रीमती निर्मला चौधरी, व्याख्याता भौतिक विज्ञान।
7. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता अनुभाग ।
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।

~~सयुक्त निदेशक~~ (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर